


फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

तुलछाराम बनाम दुनीराम आदि

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट नम्बर 84/19 सन-2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तारीख में जारी हुए
26.06.2019	<p>प्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आगामी तिथि तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 83/91 के खसरा न० 39/1 की 5.0330हैक्टेर खसरा न० 188/1 की 5.528हैक्टेर, खसरा न० 218/1 की 3.4150हैक्टेर, खसरा न० 356 की 1.6950हैक्टेर, खसरा न० 357 की 3.2880हैक्टेर खसरा न० 437/2 की 5.400हैक्टेर खसरा न० 480 की 0.3790हैक्टेर, खसरा न० 481 की 0.5060हैक्टेर कुल 25.2420हैक्टेर भूमि सायल के नाम दर्ज की मौका की यथारिथति (सीव डोल मिस्मार नही करे) बनाये रखे यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा वाद पत्र के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को रथाई किया जा सकता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जावे व उक्त आदेश जारी होने के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तलबी रजिस्टर्ड रसीद प्रार्थी अभिभाषक आवश्यक तौर पर पेश करे पत्रावली वारते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 14.08.2019 को पेश हो।</p>	
14/8/19	<p align="right">  महाविष्णु कालक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर </p> <p> वकील सायल उपस्थित आकर मुझ पर सम्मान पेश वली विरुद्ध उपर अहकाम जोर वर सम्मान व नोटिस को पेश कर दिनांक 22/10/19 को पेश की </p> <p> पत्रावली नं० 212 आर.टी.एक्ट अन्वय न्यायोक्ति प्रतीक 19/12/19 </p>	

